

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-598 / 2004

संस्थित दिनांक –19.07.2004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

राजू पिता स्वर्गीय गुलाबचंद जायसवाल, उम्र 34 वर्ष  
निवासी-परसवाड़ा, थाना परसवाड़ा,  
जिला बालाघाट(म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-04 / 12 / 2014 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-507 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-25.06.2003 को समय रात्रि 11:00 बजे स्थान ग्राम परसवाड़ा थाना परसवाड़ा अंतर्गत प्रार्थी अतहर हुसैन के घर में अपने अनाम सूचना स्वयं को छिपाने की पूर्वावधानी कर के पत्र (धमकी) देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-25.06.2003 की रात्रि 11:00 बजे परसवाड़ा थाना परसवाड़ा अंतर्गत स्थित फरियादी अतहर हुसैन के आवासीय मकान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लिफाफा छोड़ा गया। उक्त लिफाफा में प्राप्त पत्र में फरियादी से पांच लाख रुपये की मांग कर धमकी दी गई, जिस पर फरियादी ने कलेक्टर बालाघाट को दिनांक-27.06.2003 को लिखित शिकायत की। उक्त शिकायत के आधार पर जांच करने पर थाना परसवाड़ा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-55 / 2003, धारा-507 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। पुलिस द्वारा उक्त अपराध की विवेचना में घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, संदेही आरोपी से नमूना हस्तलिपि के दस्तावेज जप्त कर राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख को जांच हेतु भेजा गया तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-507 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी अतहर हुसैन

के द्वारा आरोपी से राजीनामा कर आवेदन पेश किया गया था, किन्तु अपराध अशमनीय होने से राजीनामा आवेदन अस्वीकार किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-25.06.2003 को समय रात्रि 11:00 बजे स्थान ग्राम परसवाड़ा थाना परसवाड़ा अंतर्गत प्रार्थी अतहर हुसैन के घर में अपने अनाम सूचना स्वयं को छिपाने की पूर्वावधानी कर के पत्र (धमकी) देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-**

5— प्रार्थी अतहर हुसैन (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह घटना के समय तक आरोपी को नहीं पहचानता था। वह दिनांक-31.07.2003 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी परसवाड़ा के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। वर्ष 2003 में रात्रि में लगभग 11:00 बजे उसके आवास की फर्सी में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लिफाफा और उसके साथ संलग्न पत्र फेंका गया, जो प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 मिला था, जिसमें उसे डरा-धमकाकर पांच लाख रुपये की मांग की गई थी। उक्त मांग किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसके द्वारा लिखित आवेदन के माध्यम से सूचना कलेक्टर महोदय बालाघाट को दी गई थी, जो प्रदर्श पी-10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके बयान लिये थे। आज दिनांक तक उसे इस बात का पता नहीं है कि उक्त धमकी भरा पत्र किस व्यक्ति ने उसके घर की फर्सी में फेंका था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने फरियादी के रूप में की गई शिकायत के अनुरूप अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पांच लाख रुपये की मांग किये जाने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

6— शहनाज बेगम (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को नहीं पहचानती। प्रार्थी उसका पति है। घटना वर्ष 2003 की है, उसके पति अतहर को घर की फर्सी में पांच लाख रुपये की मांग का धमकी भरा पत्र पड़ा हुआ मिला था, जिसकी सूचना उनके द्वारा कलेक्टर महोदय व पुलिस अधीक्षक को दी गई थी। उक्त पत्र किस व्यक्ति ने डाला था, उसे जानकारी नहीं है और न ही आज दिनांक तक उसे जानकारी हुई। पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके कथन ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा उनके घर में पर्ची फेंकी गई थी। इस प्रकार साक्षी ने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कथित पैसों की मांग किये जाने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

7— किशनलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थी को नहीं जानता। उसे आरोपी द्वारा प्रार्थी को अनाम सूचना देकर अभित्रास कारित करने जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। उसके

सामने आरोपी से संदेशी पत्र जप्त नहीं हुये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर पुलिस ने उससे थाने में हस्ताक्षर करवायी थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 उसने थाने में हस्ताक्षर किया था। उसे पुलिस ने पढ़कर नहीं बताया था। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— रामकुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को तथा प्रार्थी को नहीं जानता है। उसे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी ने प्रार्थी को चिट्ठी लिखकर पैसे की मांग की। उसके सामने आरोपी राजू से कुछ जप्त हुआ था या नहीं। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— भुवनसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। उसके सामने पुलिस ने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 व 2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी द्वारा लिखित हस्तलिपि वाले आर्टिकल ए-1 एवं एस-1 से एस-18 जप्त किये गये थे। साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 के अनुसार जप्ती किये जाने से इंकार किया है, किन्तु उक्त कार्यवाही पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर थाने में करवाये थे और उस समय आरोपी उपस्थित नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा दस्तावेजों पर क्या लिखा था, उसे जानकारी नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के डर की वजह से हस्ताक्षर कर दिया था। इस प्रकार साक्षी ने महत्वपूर्ण साक्षी होते हुये भी अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— कमला प्रसाद (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी राजू से एडमिशन फार्म जप्त किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर कर दिये थे, जिसे उसने पढ़कर नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी राजू कौन से दस्तावेज जप्त किये गये थे, उसे नहीं मालूम। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— अश्वनीधर द्विवेदी (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-21.11.2003 को थाना परसवाड़ा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उस दिन रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय के फागूलाल पटेल की दो उत्तर पुस्तिका जप्त हुई थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। परसवाड़ा विश्व विद्यालय से भी उसके

समक्ष सहायक उपनिरीक्षक डी.के.सिंह ने आरोपी के दो आवेदन पत्र जप्त किये थे, जो जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने दस्तावेज जप्त नहीं हुये थे और उसने थाना प्रभारी के कहने पर जप्ती पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्रकार साक्षी ने उसके सामने रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय के फागूलाल पटेल की दो उत्तर पुस्तिकाएं एवं आरोपी के दो आवेदन पत्र जप्त होने के तथ्य का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है।

12— अनुसंधानकर्ता डी.के.सिंह (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.11.2003 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-55/2003, धारा-507 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर राजकुमार से आरोपी राजू का वर्ष 2000 बी.ए.प्रथम वर्ष का प्रवेश फार्म, जिसमें आरोपी राजू की फोटो लगी हुई थी तथा हस्ताक्षर थे। एक आवेदन पत्र वर्ष 2002 का जिसमें आरोपी की फोटो तथा हस्ताक्षर थे, साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा दस्तोवज पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख पुलिस मुख्यालय जहांगिराबाद भेजा गया था, जिसकी डाफ्ट रसीद प्रदर्श पी-5 है, जिस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह भली-भांति पहचानता है। दिनांक-13.07.2004 को आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जहांगिराबाद भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जो कुल चार पृष्ठों में है चालान के साथ संलग्न किया गया है।

13— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती प्रदर्श पी-3 की कार्यवाही आरोपी के सामने नहीं की गई थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी के द्वारा भरे हुये फार्म कालेज में जमा थे और कालेज के लिपिक से जप्त किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को साक्ष्य में प्रमाणित किया है। साक्षी के अनुसंधान कार्यवाही में यह तथ्य प्रमाणित है कि उसके द्वारा आरोपी राजू के हस्ताक्षर युक्त व फोटोग्राफ वाले आवेदन को कालेज से जप्त किया था और उक्त जप्तशुदा दस्तावेज को राज्य परीक्षक के समक्ष जांच करने हेतु भेजा था। प्रकरण में संलग्न राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख पुलिस मुख्यालय जहांगिराबाद भोपाल की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी की नमूना हस्तलिपि और आरोपी के द्वारा पूर्व में लेख किये गये आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज के मिलान में एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि होना पायी गई है।

14— मामले में आरोपी को पत्र प्रदर्श पी-9 व लिफाफा प्रदर्श पी-8 लेख करते एवं फरियादी के आवास में रखते हुये नहीं देखा गया है, जिस कारण फरियादी ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी, किन्तु पश्चातवर्ती अनुसंधान कार्यवाही में आरोपी के विरुद्ध संदेह होने के आधार पर पुलिस द्वारा उसकी हस्तलिपि वाले दस्तावेज



को उचित अभिरक्षा से प्राप्त कर आरोपी के नमूना हस्तलिपि सहित हस्तलिपि विशेषज्ञ राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख जहांगिराबाद भोपाल को उचित रूप से जांच कराया जाना प्रकट होता है तथा उक्त परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 में विस्तृत रूप से जांच कर आरोपी की नमूना हस्तलिपि और जप्तशुदा दस्तावेज के साथ फरियादी को दिये गये धमकी भरे पत्र प्रदर्श पी-9 के हस्तलिपि से मिलान करने पर एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि में होना पायी गई है। इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध उक्त साक्ष्य का खण्डन न होने से अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित किया है कि आरोपी के द्वारा ही फरियादी को प्रदर्श पी-9 का पत्र प्रेषित कर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया गया।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन के द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपी ने दिनांक-25.06.2003 को समय रात्रि 11:00 बजे स्थान ग्राम परसवाड़ा थाना परसवाड़ा अंतर्गत प्रार्थी अतहर हुसैन के घर में अपने अनाम सूचना स्वयं को छिपाने की पूर्वावधानी कर के पत्र (धमकी) देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-507 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16— आरोपी के द्वारा किये गये अपराध को देखते हुए, उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

17— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी ने निवेदन किया है कि उसका यह प्रथम अपराध है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

18— आरोपी के द्वारा वर्ष 2004 से मामले में विचारण का सामना किया जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध अन्य अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आरोपी के विरुद्ध फरियादी के द्वारा राजीनामा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि अपराध शमनीय न होने से अपराध का शमन नहीं किया जा सका है। आरोपी के द्वारा किये गये अपराध एवं मामले की परिस्थिति को देखते हुए आरोपी को मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से ही न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-507 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यक्तिगत की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में जप्तशुदा नमूना हस्तलिपि के दस्तोवज, रजिस्टर, प्रवेश फार्म व उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट